BKAP848
[1-8]

SHORT COMMUNICATION Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika

विश्वस्तरी व्यापार के नए दौर में बौद्धिक सम्पदा एवं किसानों के अधिकार का महत्व

सुरेन्द्र घृतलहरे[1], दिबेन्दु दत्ता[1], निधि कुमारी[1], गीतांजलि सहाय[1]

सारांश

बौद्धिक सम्पदा में सभी प्रकार के चल व अचल संपत्ति तथा औद्योगिक उत्पाद इत्यादि आती है। यह क्रय–विक्रय किया जा सकता है और कानूनी संरक्षण देने के साथ–साथ वंशागत भी होती है। भारतीय पेटेंट अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः भारत में तकनीकी उनन्ति को गति मिलती रहे। पेटेंट कानून का मुख्य लक्ष्य एक ओर आविष्कारकों के हितों और दूसरी ओर आम जनता के हितों के बीच संतुलन बनाना है। पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 एक अधिनियम है जिससे पौधों की किस्मों, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावशाली कदम है। भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उत्पाद पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है। जैविक विविधता अधिनियम (2002) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। यह जैविक विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के सतत उपयोग के लिए है।

शब्द कुन्जीः जैविक विविधता, भौगोलिक संकेत, भारतीय पेटेंट, बौद्धिक सम्पदा, संरक्षण अधिनियम।

Importance of Intellectual Property and Farmers' Rights in the New Era of Global Trade

Surendra Ghritlahre[1], Dibendu Datta[1], Nidhi Kumari[1], Gitanjali Sahay[1] **10.18805/BKAP848**

ABSTRACT

Intellectual property includes all types of movable and immovable property and industrial products *etc*. It can be bought and sold and besides providing legal protection, it is also inheritable. The main objective of the Indian Patent Act is to encourage innovation, which ultimately drives technological progress in India. The main goal of patent law is to strike a balance between the interests of inventors on the one hand and the interests of the general public on the other. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001 is an act which is an effective step towards the protection of plant varieties, rights of farmers and plant breeders. Geographical indication or GI tag is an indication used on a product that it is produced in a specific geographical location. The Biological Diversity Act (2002) is a law passed by the Parliament of India. This is for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components.

Key words: Biological diversity, Geographical indications, Indian patents, Intellectual property, Protection acts.

बौद्धिक सम्पदा क्या है

बौद्धिक सम्पदा (आईपी) मन की रचनाओं को संदर्भित करती है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कृतियाँ, डिजाइन और वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक इत्यादि शामिल हैं। इसमें अमूर्त संपत्तियाँ भी शामिल होती हैं जो कानून द्वारा संरक्षित हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क; जो रचनाकारों को उनकी रचनाओं पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। यह सुरक्षा रचनाकारों को आर्थिक लाभ या उनके काम के लिए मान्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य अपनी दिमाक से अनेक तरह के नवाचार के द्वारा और विभिन्न रचनाओं को जन्म देता है और उन सभी नवाचरों पर उनका पूरा अधिकार भी होता है लेकिन उनके इस स्वामित्व का सुरक्षा हमेशा से चिंतन का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक सम्पदा और बौद्धिक सम्पदा स्वामित्व की बहस शुरू होती है। जैसे यदि कोई वास्तविक रूप से रचना या निर्माण करते हैं और उस रचना या निर्माण का किसी अन्य

[1]ICAR-Indian Pulses Research Institute, Regional Centre, Phanda, Bhopal-462 030, Madhya Pradesh, India.

Corresponding Author: Surendra Ghritlahre, ICAR-Indian Pulses Research Institute, Regional Centre, Phanda, Bhopal-462 030, Madhya Pradesh, India. Email: surenpb2008@gmail.com

How to cite this article: Ghritalhare, S., Dutta, D., Kumari, N. and Sahay, G. (2025). Importance of Intellectual Property and Farmers' Rights in the New Era of Global Trade. *Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika*. 1-7. doi: 10.18805/BKAP848.

Submitted: 28-04-2025 **Accepted:** 30-08-2025 **Online:** 29-10-2025

इंसान द्वारा अवैध तरीके से अपने फायदे के लिये उपयोग किया जाता है तो यह रचनाकार के स्वामित्व का स्पष्ट रूप से हनन है।

वर्तमान में बौद्धिक सम्पदा सबसे कीमती संपत्ति है क्योंकि इससे मानवीय विकास को बल देने वाले तकनीकी प्रयोग को पुरस्कृत किया जाता है। यह वैश्विक कला के संदर्भ से उन्नति में सहायक है। बौद्धिक सम्पदा मुख्यतः काल्पनिक गतिविधियो को समाहित करती है। इसमें सभी तरह के आविष्कार, साहित्यिक कार्य एवं वैज्ञानिक परिशोध, कलात्मक कार्य, डिजाइन एवं कई अन्य चीजें शामिल हैं। इसमे उन व्यक्तियों को भी समाहित कर सकते हैं जिनकी गरिमा स्वयं ही वाणिज्यिक सुविधा और लाभ को संचालित करती है। सभी प्रकार के चल व अचल संपत्ति जैसे कि भूमि, मकान, आभूषण, कृषि यंत्र, वाहन, शेयर, बैंक मे जमा राशि, नगद रुपया, औधोगिक उत्पाद इत्यादि भी शामिल हैं। बौद्धिक सम्पदा में कई प्रकार की अमूर्त संपत्तियाँ शामिल हो सकती हैं जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, व्यापार के रहस्य, डिजिटल संपत्तियाँ।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो विश्व के नवप्रवर्तकों और रचनाकारों की सेवा करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि उनके विचार सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुंचें और हर जगह जीवन में सुधार लाएं। यह संगठन ऐसी सेवाएँ प्रदान करके ऐसा करते हैं जो रचनाकारों, नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को अपनी बौद्धिक सम्पदा (आईपी) की सीमाओं के पार सुरक्षा और संवर्धन करने में सक्षम बनाती हैं और अत्याधुनिक आईपी मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। यह आईपी डेटा और जानकारी दुनिया भर के निर्णयकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में 193 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत वर्ष 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था।

बौद्धिक सम्पदा की विशेषतायें

बौद्धिक सम्पदा ज्ञान, बुद्धि को सम्पदा के रूप में मान्यता देती है। किसी वस्तु/उत्पाद को बनाने में बुद्धि का नवीन प्रयोग कराते है। अन्य किसी भी सम्पदा की तरह बौद्धिक सम्पदा का हस्तानंतरण हो सकता है और इसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण जरूरी है। ये अधिकार रचनाकारों या मालिकों को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी बौद्धिक सम्पदा को नियंत्रित करने और उसका दोहन करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। यह क्रय–विक्रय किया जा सकता है और यह वंशागत भी होती है।

बौधिक सम्पदा के संरक्षण के अधिनियम

i). भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970

पेटेंट एक प्रकार की बौद्धिक सम्पदा है जो निर्माता के स्वामित्व में है, जो निर्माण करने के पीछे दिमाग लगाया गया होता है। भारतीय पेटेंट कानूनों को 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत पेटेंट अधिकार उन आविष्कारों के लिए दिए जाते हैं जो एक नई और आविष्कारशील प्रक्रिया, उत्पाद, या निर्माण के लेख को सम्मिलित करते हैं और नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे अंततः भारत में तकनीकी उनन्ति को गति मिलती रहे।

• पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक या सीजीपीडीटीएम का कार्यालय भारतीय पेटेंट अधिनियम के लिए जिम्मेदार निकाय है।

• पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कलकत्ता में है और इसकी शाखाएँ नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में हैं। सीजीपीडीटीएम का कार्यालय मुंबई में स्थित है। नागपुर में पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय और राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान भी स्थित है।

• महानियंत्रक अधिनियम के प्रशासन की निगरानी करता है और संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह भी देता है।

• पेटेंट अधिनियम को क्रमशः 1999, 2002, 2005, 2006 में बार–बार संशोधित किया गया है। पेटेंट अधिनियम ट्रिप्स के अनुरूप बनाने के लिए ये संशोधन आवश्यक थे। ट्रिप्स का मतलब बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलू है।

• पेटेंट अधिनियम में प्रमुख संशोधन 2005 में हुआ था, जब उत्पाद पेटेंट को भोजन, दवाओं, रसायनों और सूक्ष्मजीवों जैसे प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया था। पेटेंट अधिनियम के तहत नियमों को 2012, 2013, 2014 में भी संशोधित किया गया था (https://www-indiacode-nic-in/)।

भारतीय कानून के अंतर्गत पेटेंट न होने वाली वस्तुओं

जीव–जन्तु, पौधे, सूक्ष्म जीव एवं जीवों के उपचार के तरीके पेटेंट नहीं किए जाते है।

कृषि के क्षेत्र में कृषि रसायनों, विकास प्रवर्तकों और नियामकों, दवाओं, टीकों, खाल और ऊन, डेयरी प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, ईंधन और बायोगैस उत्पादन, बायोरिएक्टर, विभिन्न प्रयोगशाला प्रोटोकॉल के मानकीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट प्राप्त किया जा

सकता है। पौधों के प्रजनन/पौधों की विविधता के नए तरीकों के उत्पादन पर काम 1996 में शुरू किया गया था और 2002–03 के दौरान कई पेटेंट दिए गए थे। कुल 415 पेटेंटों में से 250 पेटेंट बायोसाइड्स, कीट प्रतिकारकों और पौधों के विकास नियामकों के क्षेत्र में दिए गए, जबकि शेष क्षेत्रों में 165 पेटेंट दिए गए।

ii) पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पीपीवीएफआर अधिनियम) भारत की संसद का एक अधिनियम है जिससे पौधों की किस्मों, किसानों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करने और पौधों की नई किस्मों के विकास और खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इस अधिनियम को शुरू करने के बाद भारत पादप किस्मों की सुरक्षा के मामले में कृषि कि दृष्टिकोण से विकसित देशों के साथ शामिल हो गया है। इस अधिनियम को कार्य में लाने के लिए नवम्बर, 2005 में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का सृजन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा "कृषक किस्म" को पंजीकृत किया जा सकता है। यह अधिनियम किसानों द्वारा जंगली/स्थानीय किस्मों को अपने आर्थिक निरीक्षण से चयनित और विकसित करने के संदर्भ मे मूल्य सवर्धन प्रदान करता है। इस प्रकार, यह अधिनियम किसानों को जैव विविधता सृजक, संरक्षक और सुधारक व इसके साथ–साथ पादप प्रजनक भी मानता है (सुशीला कुंडु et al., 2013)।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का मुख्य कार्य

पौधों की नयी प्रजातियों का पंजीकरण करना ताकि उसका कोई दूसरा व्यक्ति या संस्था व्यावसायिक लाभ न उठा सके तथा किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी होता है।

पंजीकृत की जाने वाली प्रजाति के गुण

स्पष्ट भिन्नता, समरूपता, टिकाऊपन होनी चाहिए।

किसान की संज्ञा

जो व्यक्ति खुद खेती करता हो या जो अपने निरीक्षण में दूसरों से खेती करवाता है या ऐसे व्यक्ति जो कि या तो अकेले या लोग मिलकर पारंपरिक प्रजातितों या वन्य संबंधी (जंगली प्रजातियों) को संरक्षित करते हैं उसे किसान की संज्ञा दी जाती है।

कृषक प्रजाति

ऐसी प्रजाति के पौधे जो किसानों द्वारा विकसित कि गई हो एवं जिनकी खेती पीढ़ी दर पीढ़ी कि जा रही हो और ऐसी कोई किस्म जो वन्य संबंधी (जंगली प्रजातियों) हैं एवं जिसके बारे में किसानों को ज्ञान हो उसे कृषक प्रजाति कहा जाता है। उदाहरण– बीकानेरी लरमा कपास, तरावड़ी चावल, नन्द्रन केला, दशहरी आम, रामनगर बैंगन, जौनपुर मूली ईत्यादि।

अधिनियम के तहत दिया गया अधिकार

प्रजनक के अधिकारः प्रजाति को बेच सकता है तथा लाईसेन्स दे सकता है।

शोधकर्ता के अधिकारः किसी भी पंजीकृत प्रजाति के पौधे को अपने शोधकार्य में प्रयोग कर सकता है।

किसानों के अधिकारः किसानों को प्रजातियों के परिरक्षक एवं धरोहर के रूप में मान्यता के साथ–साथ उनके किस्मों का भी पंजीकरण हो सकता है। किसी भी विवाद कि स्थिति में कानूनी कार्यवाही निःशुल्क होती है। नदानियत में अतिलंधन और कम पैदावार के लिए मुआवजा दी जाती है। किसान किसी भी पंजीकृत प्रजाति के बीज की बुवाई कर सकता है एवं फसल लेने के बाद उसके बीज से दुबारा बुवाई कर सकता है। किसी भी पंजीकृत प्रजाति का बीज तैयार कर सकता है एवं बेच भी सकता है। किसान भी प्रजाति के प्रजनक हो सकते हैं और कोई गाँव या किसानों का समूह यदि संरक्षण का काम करता है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। बीज का अधिकार भी होता है और लाभ मे भागीदारी का अधिकार भी होता है। किसानों उचित मूल्य पर बीज प्राप्त करने का अधिकार होता है और किस्म मान्यता और संरक्षण मे किए गए योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। किस्म व्यावसायीकरण के लिए पूर्व अनुमति देने का अधिकार तथा किस्म के पंजीकरण शुल्क में छुट का अधिकार भी होता है। कोई व्यक्ति या संस्था किसानों की प्रजातियों का इस्तेमाल नये प्रजातियों के विकास के लिए करता है तो, उस व्यक्ति या संस्था को लाभांश देना होगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार में किसानों के अधिकारः अर्थ, प्रावधान, चुनौतियाँ और आगे की राह

यह सर्वविदित है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में किसानों के अधिकार, कृषि की रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा से संबंधित हैं। कृषि विश्व स्तर पर अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बनी हुई है। इसलिए, खाद्य उत्पादन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस रीढ़ की हड्डी का हृदय और आधार बन जाते हैं। फिर भी, वैश्वीकरण और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के दौर में, किसानों के पारंपरिक ज्ञान, बीजों और नवाचारों को कानूनी झगड़ों से बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

आईपीआर में किसानों के अधिकार क्या हैं?

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) में किसानों के अधिकार, किसानों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अर्थातः 1. खेत में संरक्षित बीजों को बचाना, उनका उपयोग करना, उनका आदान–प्रदान करना और उन्हें बेचना। 2. अपने पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना 3. उन पौधों की किस्मों के व्यावसायीकरण से लाभ उठाना जिनके विकास या संरक्षण में उन्होंने मदद की है। इन अधिकारों का उद्देष्य जैव विविधता और पारंपरिक कृषि के संरक्षकों को उनके प्रबंधन में उचित मान्यता प्रदान करना है, और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये अधिकार यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को बीजों और पौधों की किस्मों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार रखने वाले निगमों या व्यक्तियों के शोषण से बचाया जाए।

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के तहत किसानों के अधिकार

पीपीवी और एफआर अधिनियम, या पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पारंपरिक ज्ञान के धारकों के रूप में किसानों के अधिकारों की रक्षा और पादप प्रजनकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए बनाया गया है। अधिनियम के तहत कृषक अधिकारों से संबंधित विस्तृत प्रावधान नीचे दिए गए हैं (https://thelegalschool-in › blog › farmers-rights-in-ipr):

1. बीजों को बचाने, उपयोग करने और बेचने का अधिकारः किसानों को अपने कृषि उत्पादों, जैसे संरक्षित किस्म के बीजों, का भंडारण, रोपण, पुनः रोपण, व्यापार, साझाकरण या बिक्री करने का अधिकार उसी स्तर पर है जैसा कि अधिनियम के लागू होने से पहले उन्हें प्राप्त था (चित्र 1)। दूसरी ओर, संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों को बेचने की अनुमति नहीं है।

2. प्रजनक के अधिकारः किसान, नई पौध किस्म विकसित करने के बाद, व्यावसायिक प्रजनकों की तरह पंजीकरण के लिए भी पात्र हैं। उन्हें समान सुरक्षा प्रदान की जाती है – जिसमें उनके द्वारा विकसित किस्म पर विशेष अधिकार भी शामिल हैं।

3. लाभ–साझाकरणः जहाँ संरक्षित किस्म ने किसानों द्वारा संरक्षित आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग किया है, वहाँ लाभ–साझाकरण प्रावधान होंगे। आनुवंशिक सामग्री के संरक्षण और विकास में लगे किसानों या समुदायों को व्यावसायिक उत्पाद के विपणन के लाभों में भाग लेने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उनके योगदान के लिए उचित मुआवजा मिले।

4. खराब प्रदर्शन के लिए क्षतिपूर्तिः प्रजनक को विशिष्ट परिस्थितियों में बीज या रोपण सामग्री के प्रदर्शन का खुलासा करना होगा। यदि सामग्री निर्दिष्ट अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रही है, तो किसान प्राधिकरण से शिकायत करके पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं।

5. पुरस्कार और मान्यताः यह उन किसानों को मान्यता और पुरस्कार दे सकता है जो आनुवंशिक संसाधन संरक्षण में संलग्न हैं – भूमि प्रजातियाँ और आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के जंगली रिश्तेदार – और चयन एवं संरक्षण के माध्यम से उनका प्रजनन करते हैं। यह अधिनियम जीन कोश की स्थापना करता है, जिसके तहत ऐसे योगदानों से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

6. उल्लंघन के लिए कार्रवाई से छूटः किसानों को अनजाने में किए गए उल्लंघन के लिए प्रजनकों के अधिकारों के उल्लंघन के मुकदमे से छूट प्राप्त है।

7. शुल्क माफीः इस अधिनियम के तहत, किसानों, किसानों के समूहों या ग्राम समुदायों को प्राधिकरण, रजिस्ट्रार या उच्च

चित्र 1: किसानों के द्वारा बीज का संरक्षण।

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

8. सामुदायिक अधिकारः यह अधिनियम समुदाय–आधारित दावों की अनुमति देता है। किसी पादप किस्म के विकास में योगदान देने वाले गाँव या स्थानीय समुदाय मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, प्राधिकरण समुदाय को मुआवजा दे सकता है, जिसे जीन फंड में जमा किया जाता है।

किसानों के अधिकारों का समर्थन करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे

जैव विविधता, पारंपरिक कृषि पद्धतियों और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षकों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए विश्व मंच पर किसानों के अधिकारों को तेजी से मान्यता दी जा रही है। किसानों के अधिकारों का समर्थन करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे इस प्रकार हैंः

खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए)

2001 में अपनाई गई यह संधि पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास में किसानों के योगदान को मान्यता देती है। यह सदस्य देशों को राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य हैः पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, समान लाभ–बंटवारा, सहभागी निर्णय–प्रक्रिया।

यू.पी.ओ.वी. (अंतर्राष्ट्रीय पादप नई किस्मों के संरक्षण संघ)

यू.पी.ओ.वी. पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन 1978 का अधिनियम किसानों को 1991 के प्रतिबंधात्मक अधिनियम की तुलना में अधिक छूट देता है, जिसकी निंदा किसानों की बीजों को संरक्षित करने और उनका आदान–प्रदान करने की क्षमता को सीमित करने के लिए की गई थी।

किसानों के अधिकारों को लागू करने में चुनौतियाँ

यद्यपि कानूनी ढाँचे मौजूद हैं, फिर भी किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैः

बीजों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण

बड़ी कंपनियाँ आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का पेटेंट कराती हैं, जिससे किसानों के अपनी फसल उगाने के पारंपरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। उन्हें महंगे व्यावसायिक बीजों पर निर्भर रहना पड़ता है।

पारंपरिक ज्ञान का क्षरण

आधुनिक कृषि पद्धतियों पर जोर देने से पारंपरिक ज्ञान और देशी फसल किस्मों का क्षरण हो रहा है।

जागरूकता का अभाव

अधिकांश किसान पीपीवी और एफआर अधिनियम जैसे कानूनों के तहत अपने अधिकारों से अनजान हैं, जिससे उनका शोषण होने का खतरा बना रहता है।

कानूनी और वित्तीय बाधाएँ

किसानों के पास अक्सर बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देने या लाभ–साझाकरण समझौतों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।

iii). भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999

भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उत्पाद पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होता है। भारत में भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अनुसार जीआई टैग दिए जाते हैं। जीआई टैग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं (https://ipindia-gov-in/act&1999-htm)। इस तरह के उत्पाद में मूल स्थान की प्रतिष्ठा और गुण होने चाहिए। जीआई टैग, आमतौर पर ग्रामीण, सीमांत और स्वदेशी समुदायों द्वारा पीढ़ियों से उत्पादित उत्पादों पर पंजीकृत होते हैं, जिन्होंने अपने कुछ विशेष गुणों के कारण अंतरर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रतिष्ठा हासिल की है।

भारत का पहला जीआई टैग उत्पादः साल 2004–05 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद बना था। 31 मार्च, 2024 तक इस सूची में 635 उत्पाद जोड़े जा चुके थे।

चित्र 2: कुछ उत्पाद जिसे भौगोलिक चिन्ह मिला है।

चित्र 3: जैवीय विविधता जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

चित्र 4: अरहर की बीज विभिन्नता।

भौगोलिक संकेतों में पंजीकृत कुछ उत्पाद –

• कृषि सामान – दार्जिलिंग चाय, बैंगलोर ब्लू अंगूर, मालाबार काली मिर्च, नागपुर का संतरा, गुलबर्गा अरहर दाल, असम का मुगा सिल्क, तेजपुर लीची, असम का जोहा चावल, बासमती चावल, कश्मीरी केसर, कश्मीरी पश्मीना आदि (चित्र 2)। मिथिला मखाना को भी अगस्त, 2022 मे जी आई टैग मिला है। ऐसे ही बालाघाट, मध्य प्रदेश के चिन्नौर धान को जी आई टैग मिला है।

• निर्मित सामान - पोचमपल्ली इकत, कांचीपुरम रेशम साड़ी, सोलापुरी चादर, बाग प्रिंट और मधुबनी पेंटिंग, मैसूर सिल्क, बनारस की बनारसी साड़ी, तिरुपति लड्डू, रसगुल्ला आदि।

भौगोलिक संकेत की विशेषतायेँ: 1. केवल पंजीकृत किसान या कारीगर ही उत्पाद बेचने के हकदार होता है। 2. पंजीकृत भौगोलिक संकेत को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। 3. यह एक सामुदायिक अधिकार है।

iv). जैव विविधता अधिनियम 2002

जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act), 2002 का निर्माण जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन (CBD), 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भारत के प्रयास के परिणामस्वरूप हुआ जो राज्यों को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिये उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। जैविक विविधता अधिनियम (2002) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। यह जैविक विविधता के संरक्षण और इसके घटकों के सतत उपयोग के लिए है। यह जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा भी सुनिश्चित करता है। अधिनियम में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) और राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की स्थापना का भी प्रावधान है। अधिनियम एनबीए की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी संस्था को जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।

उद्देश्य: 1. पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना। 2. जैविक विविधता को बचाए रखना। 3. जैविक विविधता के गलत दोहन को रोकना। 4. विदेशियों से जैव विविधता के हनन को रोकना है।

जैवीय विविधता मे भारत की स्थिति

भारत विश्व के 17 अत्यधिक जैवीय विविधता वाला देश है। भारत का योगदान जैव विविधता में लगभग 7-8 प्रतिशत है और विश्व में 2,70,000 पौधे की प्रजातीयां हैं जिसमे से 46,286 भारत में ही पायी जाती है (चित्र 3 और 4)।

जैवीय विविधता को खतरा निम्न कारणों से हो सकता हैः पहला- अवैध दोहन तथा जंगलों का कटान होना और दूसरा- विश्व पर्यावरण में परिवर्तन तथा जनसंख्या में वृद्धि का होना है।

जौवीय सम्पदा का उपयोगः 1. भारतीय नागरिक निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। 2. औद्योगिक दोहन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। 3. विदेशी नागरिकों के लिए स्वीकृति अनिवार्य होगी।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था की खामियाँ

भारतीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार कई सीमाओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ, लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ, उच्च लागत और जागरूकता की कमी शामिल है, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ये ज्यादा है। पाइरेसी और जालसाजी, खासकर डिजिटल प्रारूपों में भी गंभीर खतरे पैदा करते हैं। साथ ही, हालाँकि भारत के पास एक राष्ट्रीय आईपीआर नीति है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अभी भी मूल्यांकन के अधीन है।

बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत की स्थिति

वैश्विक बौद्धिक सम्पदा सूचकांक–2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर है (https://www-trade-gov/country-commercial-guides/india-protecting-intellectual-property)। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण के संबंध में भारत की स्थिति लगातार विकसित हो रही है, जिसमें कई मजबूत पक्ष और सुधार के क्षेत्र शामिल हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करता है, जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। हालाँकि भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए मजबूत कानून और एक सुस्थापित कानूनी एवं प्रशासनिक ढाँचा है, फिर भी प्रवर्तन में चुनौतियाँ हैं और कुछ प्रकार के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में संरक्षण को लेकर कुछ चिंताएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) में किसानों के अधिकार कृषि की स्थिरता, जैव विविधता के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पीपीवी और एफआर अधिनियम जैसे कानूनी ढाँचे बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के प्रवर्तन और जन जागरूकता की अधिक गुंजाइश है। किसानों के अधिकारों का संरक्षण केवल आजीविका की सुरक्षा के बारे में ही नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व और उन्नति में किसानों की अमूल्य भूमिका को मान्यता प्रदान करना भी है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार के बीच सामंजस्य एक स्थायी कृषि भविष्य की कुंजी है।

पावती

वर्तमान अध्ययन को आईसीएआर–भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर द्वारा समर्थित किया गया था।

अस्वीकरण

इस लेख में व्यक्त विचार और निष्कर्ष पूरी तरह से लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे उनके संबद्ध संस्थानों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। लेखक प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और पूर्णता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इस सामग्री के उपयोग से होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं।

सूचित सहमति

प्रयोगों के लिए सभी पशु प्रक्रियाओं को प्रायोगिक पशु देखभाल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और हैंडलिंग तकनीकों को पशु देखभाल विश्वविद्यालय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

हितों का टकराव

लेखक घोषणा करते हैं कि इस लेख के प्रकाशन के संबंध में हितों का कोई टकराव नहीं है। किसी भी फंडिंग या प्रायोजन ने अध्ययन के डिजाइन, डेटा संग्रह, विश्लेषण, प्रकाशन के निर्णय या पांडुलिपि की तैयारी को प्रभावित नहीं किया।

संदर्भ

https://ipindia.gov.in/act-1999.htm
https://www.indiacode.nic.in/
https://thelegalschool.in › blog › farmers-rights-in-ipr
https://vajiramandravi.com/upsc-exam/gi-tag/
https://www.swaniti.com/wp-content/uploads/2022/10/National-IPR-Policy-2016-An-Analysis-.pdf
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-protecting-intellectual-property.
Kundu, S., Gupta, A., Verma, R.P.S., Singh, R. (2013). Training Book, Plant Varieties and Farmers' Rights Protection Act 2001, Wheat Research Directorate, Karnal 132 001, p. 58.